न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री//टीए/848/2004/सवाई माधोपुर

1. गणपतसिंह
2. करणसिंह
3. सुरेन्द्र

–पुत्रगण नवलसिंह जाति राजपूत निवासीगण मोरन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

4. दौलतसिंह पुत्र गणपतसिंह
5. दिपेन्द्र नाबालिग जरिये सरक्षंक गणपतसिंह पुत्र नवलसिंह जाति राजपूत निवासीगण मोरन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलांट्स

बनाम

1. गिरधरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत लैक्चर राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जावर माइन्स, उदयपुर
2. दुर्गासिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मोरन तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
3. राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री औंकार लाल दवे, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः– 03–12–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील सं. 71/2001 में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा एक वाद बाबत उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ग्राम मोरन स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 1/1 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, 1/4 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, 31/4 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, 32/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 32/3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 32/1 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा का 2/3 भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर एकतरफा आज्ञा दिनांक 16-06-1993 द्वारा वादी के वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की तथा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना भी संलग्न किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को उभयपक्ष की बहस सुनकर मियाद को क्षमा करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 25-11-2003 द्वारा खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस में कहा कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को त्रुटिपूर्ण होना बताया है। आगे बताया कि जमाबंदी सम्वत 2013-2016 के अनुसार प्रश्नगत रकबा उनके पिता की खातेदारी में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 15 के अनुसार भी प्रश्नगत रकबा उनके पिता के खाते में दर्ज है तथा इस नामान्तरकरण के जरिये बिना कोई रहन, बय मुन्तकिल, बख्शीश या वसीयत के रेस्पोडेन्ट्स के पिता जो उस समय ग्राम पंचायत के सरपंच थे

ने अपने पुत्र दुर्गासिंह के पक्ष में कर दिया जो सरासर पद का दुरूपयोग था। इसके अतिरिक्त बिना किसी अधिकार के षड़यंत्र कर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि को दुर्गासिंह के नाम दर्ज कर दी गई। उनका आगे कहना है कि वादी द्वारा आराजी भू–दान से प्राप्त होना कहकर दावा लाया गया है किन्तु उसे भू–दान से कब, किसने और क्यों दी है यह कहीं दावे में प्रमाणित नहीं किया है। अतः इन दो खसरा नम्बरों के बाबत वादी का वाद खारिज होने योग्य था। उनका यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत को प्रश्नगत रकबे बाबत नामान्तरकरण स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं था। अतः अपीलार्थीगण द्वारा मण्डल को प्रदत्त धारा 221 की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने की प्रार्थना की है। उक्त तथ्य पर गौर किए बिना ही अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है। अन्त में उन्होंने अपील/अपीलान्ट्स स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–1993 तथा नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 11–06–1961 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि हस्तगत प्रकरण में मूल दावा सहमति के आधार पर डिक्री किया है। उनका आगे कहना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने आराजी को पैतृक होना कथित कर अपील पेश की है, जबकि उनके द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण ने मामले में निष्पादित आलोच्य नामान्तरकरण को जरिये चुनौती अपास्त करने का अनुतोष चाहा है, जबकि नामान्तरकरण की अपील विचाराधीन है। अतः अपीलार्थीगण दोहरा अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण की अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली तथा पारित निर्णयों व डिक्री का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर एवं प्रश्नगत रकबे को सीलिंग से प्रभावित नहीं होना प्रकट करते हुए एकतरफा में डिक्री किया है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपील पेश की है, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद से बाधित अपील में मियाद को क्षमा करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलार्थीगण की अपील खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा है।

8. हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 18-11-2015 को जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी बाबत संलग्नक दस्तावेज को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ ने अपने आदेश दिनांक 11-09-2019 द्वारा प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेज होने के आधार पर स्वीकार किया है। जिसके अनुसार खतौनी बंदोबस्त मौजा मोरन सम्वत 2009 से 2023 में खसरा संख्या 32/1, 32/2 वं 32/3 नवलसिंह पुत्र रतनसिंह के नाम से खातेदारी में दर्ज है। नवलसिंह का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से क्या संबंध है, यह बताया नहीं गया है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वादी ने कथन किया है कि उक्त आराजी उनके बाबा जसवंत सिंह से पारिवारिक बंटवारे में मिली है। जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है, उसमें जसवंतसिंह का नाम कहीं दर्ज नहीं है और न ही वाद पत्र में सजरा प्रस्तुत किया है, जिससे वादी के पूर्वजों के बारे में ज्ञान हो सके। नामान्तरकरण संख्या 15 के द्वारा नवलसिंह ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 32/2, 32/3 प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गासिंह पुत्र

भंवरसिंह को रजामंदी के आधार पर दी है। नवलसिंह व दुर्गासिंह का आपस में क्या संबंध है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सरपंच को किसी की खातेदारी की भूमि किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी में देने का कोई अधिकार नहीं है। खातेदारी अधिकार या तो उत्तराधिकार से अन्यथा बेचाननामे से ही हस्तान्तरित हो सकते है। आपस में रजामंदी से नहीं। नामान्तरकरण संख्या 15 दुर्गासिंह पुत्र भंवरसिंह नाम स्वीकृत हुआ है। अतः नामान्तरकरण संख्या 15 अधिकारों से परे होने के कारण प्रारम्भतः शून्य प्रभावी व व्यर्थ है।

9. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विवेचित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2042–2045 के अनुसार विवादित आराजी भंवरसिंह पि. जसवंतसिंह 1/2 व ठुकरानी चौहान पत्नि भंवरसिंह 1/2 खातेदारी में दर्ज रही है। जबकि रेकार्ड में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2042–2045 के अनुसार मेवा, नन्दा पि. गैना बेरवा 1/3 सा. देह दुर्गासिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत 2/3 सा. देह जरिये आदेश तहसील 2186/10–12–81 के अनुसार यह भूमि भू दान से प्राप्त है यह रहन बय नहीं की जा सकती है का अंकन है। अतः अपीलीय न्यायालय ने अपना निष्कर्ष रेकार्ड के विपरीत किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि भू दान से प्राप्त भूमि के संबंध में तहसील के आदेश का पत्रावली में अभाव है। अतः मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत पारित किए जाने के कारण दोषपूर्ण पाये जाते है। सारांशतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण इन्हें अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रश्नगत द्वितीय अपील में विधि का उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर मामले को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है कि न्यायालय आदेश तहसील 2186/10–12–81 की प्रति का विधिवत परीक्षण करने बाबत एवं नामान्तरकरण संख्या 15 एवं जमाबंदी सम्वत 2042–2045 के बाबत पृथक–पृथक विवाद्यक कायम कर उनको विवेचित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–11–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–1993 को निरस्त किए जाते है। प्रकरण सहायक जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ऊपर किए गए सम्प्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य में पुनः विवाद्यकवार विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। संबंधित अहलमद को आदेशित किया जाता है कि मण्डल की पत्रावली में संलग्न खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2009 से 2023 की छाया प्रति संधारित करते हुए उक्त असल दस्तावेज को विचारण न्यायालय को भेजे जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य